



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 1443 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2015-02-मा०सं०प्र०-02/2003

दिनांक : 12 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०: 76-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2002-2-मा०सं०प्र०-02/2002, दिनांक 10.01.2003 सपठित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 03-वे०प्र०-30/पाकालि/2002-17-वे०प्र०(30)/2002, दिनांक 02.01.2003 द्वारा साइकिल भत्ता रू० 50/- प्रतिमाह अनुमन्य है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रू० 100/- प्रतिमाह की दर से साइकिल भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- साइकिल भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्वनिर्गत निगमीय आदेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: 1443 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2015, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य एवं नव परियोजनाएँ), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
- (4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता(मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आं०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (6) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (7) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (9) अधिशासी अभियन्ता(रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,गोमतीनगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
- (10) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (11) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (12) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (13) कट फाइल।

आज्ञा से,
12/08/15

(मुहम्मद इसलाम)
उप सचिव(02)